न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 76/2018

अनवान : –

1. मंगतुराम पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. प्रेमा पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. बृजलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**
3. श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 11/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक न0 20 आरडब्ल्यूडीए के खाता स0 49/45 की कुल 6. 5780 हैक्ट भूमि, रोही मौजा चक 20 आरंडब्ल्यूडी के खाता स0 27/29 की कुल 1.120 हैक्ट व रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता स0 53/113 की कुल 7.2860 हैक्ट व रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूबी के खाता स0 38/32 की कुल 1.2400 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूबी के खाता स0 72/77 की कुल 0.253 हैक्ट सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल व गैरसायलान संख्या 1 ता 4 के मध्य उक्त भूमि बाबत बंटवारा किया गया है एवं मुताबिक बंटवारा चक न0 20 आरडब्ल्यूडी ए के प0न0 243/401 के किला न0 7 ता 10 व 12 ता 14 की 7 बीघा, चक 20 आरडब्ल्यूडी के प0न0 240/398 के किला न0 5, 6 की 2 बीघा व प0न0 241/398 के किला न0 1 व 10 की 2 बीघा व टोपरिया बारानी की कुल 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से दक्षिण पूर्वी की 7 बीघा कुल 18 बीघा भूमि गैरसायल स0 1 के पास रहेगी व चक न0 20 आरडब्ल्यूडी ए के प0न0 243/401 के किला न0 11 व 17 ता 20 5 बीघा प0न0 234/401 के किला न0 [illegible] की 2 बीघा रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के प0न0 243/397 के किला न0 14 ता 17 की 4 बीघा [illegible] भूमि व टोपरिया बारानी की कुल 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से दक्षिण [illegible] भूमि सायल के पास रहेगी व चक न0 20 आरडब्ल्यूडी ए के प0न0 243/401 के किला न0 22 ता 25 [illegible] बीघा व प0न0 234/402 के किला न0 3, 8, 13 की 3 बीघा व टोपरिया बारानी भाखड़ा चक न0 9 की 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 11:10:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बीघा उत्तरी पूर्वी दिशा की 6 बीघा भूमि व रोही मौजा चक न0 20 आरडब्यूडी के प0न0 241/403 के किला न0 1 की 1 बीघा कुल 18 बीघा भूमि गैरसायल स0 3 व 4 तथा रोही मौजाा 20 आरडब्ल्यूडी ए के प0न0 234/402 के किला 0 7, 13, 14 व 4–5 की 5 बीघा व टोपरिया बारानी की पूर्वी दिशा की 6 बीघा कुल 11 बीघा भूमि गैरसायल स0 2 के पास रहेगी एवं मंगतुराम के किला न0 17 मे 2 बिस्वा व प्रेमा व महेन्द्रसिंह द्वारा किला न0 25 में 2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा रास्ता मे कोई भी पक्षकार किसी को राकेगा नही का समझौता हुआ। प0न0 234/401 मु0न0 17 के किला न0 25 के पूर्वी तरफ से दक्षिण से उत्तरी व पूर्व से पश्चिम व फिर किला न0 24 में उत्तरी पूर्वी कोना में से होकर किला न0 17 में प्रार्थी प्रवेश करता है तथा करीबन 2–2 गटठा रास्ता हमेशा से ही चालु है राजीनामा में भी गैरसायलान ने उक्त रास्ता में आवागमन हेतु सहमति प्रकट की है लेकिन अब गैरसायलान द्वारा सायलान को यह रास्ता बंद करने की धमकी दी जा रही है यदि गैरसायलान अपने मकसद मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी अपने खेत में आवागन नही कर पायेगा इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा चक न0 20 आरडब्ल्यूडी ए तहसील नोहर के खाता स0 49/45 के प0न0 234/401 मु0न0 17 के किला न0 25 के पूर्वी तरफ से दक्षिण से उत्तर व पूर्व से पश्चिम व किला न0 24 में उत्तरी पूर्वी तरफ कोना में करीब 2–2 गठठा रास्ता यानि 16–1/2 फुट रास्ता आगवमन करने से न रोके।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक न0 20 आरडब्ल्यूडी ए तहसील नोहर के खाता स0 49/45 के प0न0 234/401 मु0न0 17 के किला न0 25 के पूर्वी तरफ से दक्षिण से उत्तर व पूर्व से पश्चिम व किला न0 24 में उत्तरी पूर्वी तरफ कोना में करीब 2–2 गठठा रास्ता यानि 16–1/2 फुट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त प्रचलित रास्ता है को बंद नही करे।

अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रास्ता व खाला खाता विभाजन के समय सभी काश्तकारों को मुताबिक हक हिस्सा तथा आवागमन हेतु रास्ता मिलेगा एवं प्रार्थी द्वारा अदालत को गुमराह कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा ली है अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त बाबत उपरोक्तानुसार राजीनामा हुआ था एवं मंगतुराम के किला न0 17 मे 2 बिस्वा व प्रेमा व महेन्द्रसिंह द्वारा किला न0 25 में 2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा रास्ता मे कोई भी पक्षकार किसी को राकेगा नही का समझौता हुआ। प0न0 234/401 मु0न0 17 के किला न0 25 के पूर्वी तरफ से दक्षिण से उत्तरी व पूर्व से पश्चिम व फिर किला न0 24 में उत्तरी पूर्वी कोना में से होकर किला न0 17 में प्रार्थी प्रवेश करता है तथा करीबन 2–2 गटठा रास्ता हमेशा से ही चालु है राजीनामा में भी गैरसायलान ने उक्त रास्ता में आवागमन हेतु सहमति प्रकट की है लेकिन अब गैरसायलान द्वारा सायलान को यह रास्ता बंद करने की धमकी दी जा रही है यदि गैरसायलान अपने मकसद मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी अपने खेत में आवागन नही कर पायेगा इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा चक न0 20 आरडब्ल्यूडी ए तहसील नोहर के खाता स0 49/45 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 11:10:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प0न0 234/401 मु0न0 17 के किला न0 25 के पूर्वी तरफ से दक्षिण से उत्तर व पूर्व से पश्चिम व किला न0 24 में उत्तरी पूर्वी तरफ कोना में करीब 2–2 गठठा रास्ता यानि 16–1/2 फुट रास्ता आगवमन करने से न रोके।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की रास्ता व खाला खाता विभाजन के समय सभी काश्तकारों को मुताबिक हक हिस्सा तथा आवागमन हेतु रास्ता मिलेगा एवं प्रार्थी द्वारा अदालत को गुमराह कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा ली है अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक न0 20 आरडब्ल्यूडीए के खाता स0 49/45 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि, रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता स0 27/29 की कुल 1.120 हैक्ट व रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता स0 53/113 की कुल 7.2860 हैक्ट व रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूबी के खाता स0 38/32 की कुल 1.2400 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूबी के खाता स0 72/77 की कुल 0.253 हैक्ट सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हक हिस्सा/कब्जा काश्त/खाता विभाजन जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है प्रार्थी का कथन है कि मंगतुराम के किला न0 17 मे 2 बिस्वा व प्रेमा व महेन्द्रसिंह द्वारा किला न0 25 में 2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा रास्ता मे कोई भी पक्षकार किसी को राकेगा नही का समझौता हुआ। प0न0 234/401 मु0न0 17 के किला न0 25 के पूर्वी तरफ से दक्षिण से उत्तरी व पूर्व से पश्चिम व फिर किला न0 24 में उत्तरी पूर्वी कोना में से होकर किला न0 17 में प्रार्थी प्रवेश करता है तथा करीबन 2–2 गटठा रास्ता हमेशा से ही चालु है जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि रास्ता व खाला खाता विभाजन के बाद ही तय किया जावेंगा लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के आवागमन हेतु रास्ता को अवरूद्ध किया जावेगा तो प्रार्थी अपने खातेदारी में आवागमन नही कर सकता है प्रार्थी व अप्रार्थीगण का खाता व लगान अलग करवाने हेतु वाद विचाराधीन है अतः यदि रास्ता चालु है एंव अप्रार्थीगण द्वारा रोका जा रहा है तो अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया [illegible] होता है न की अप्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी [illegible] सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अ[illegible]ला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थीगण कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 11:10:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक न0 20 आरडब्ल्यूडी ए तहसील नोहर के खाता स0 49/45 के प0न0 234/401 मु0न0 17 के किला न0 25 के पूर्वी तरफ से दक्षिण से उत्तर व पूर्व से पश्चिम व किला न0 24 में उत्तरी पूर्वी तरफ कोना में करीब 2–2 गठठा रास्ता यानि 16–1/2 फुट रास्ता चालु है तो एक दुसर के आवागमन में बाधा पैदा न करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 11:10:23 IST
Reason: SelfAttested